

जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद ।

पत्रांक-364/ख0, औरंगाबाद, दिनांक-10.02.2024

प्रेषित,

मेसर्स लक्ष्मी एच0 पी0 गैस एजेंसी,
प्रो0 अभिषेक कुमार, पिता- विनय प्रसाद,
पता-लक्ष्मी निवास, ग्राम+पो0+थाना-ओबरा,
जिला औरंगाबाद बिहार पिन-824124
ई-मेल- abhipcet@gmail.com

विषय :-

औरंगाबाद जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट/बालूखण्ड संख्या-16-A की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-27.01.2024 को सम्पन्न ई-नीलामी में उच्चतम् डाकवक्ता घोषित होने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक औरंगाबाद जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट/बालूखण्ड संख्या-16-A, रकवा-32 हेक्टेयर की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-27.01.2024 को सम्पन्न ई-नीलामी में सुरक्षित जमा राशि मो0-8,64,00,000/- के विरुद्ध आपके द्वारा उच्चतम् डाक की राशि मो0-9,50,40,000/- (नौ करोड़ पचास लाख चालीस हजार) रुपये की बोली के फलस्वरूप आप उच्चतम् डाकवक्ता घोषित हुए। निविदा दस्तावेज की कंडिका-20 (i) के आलोक में आपके द्वारा नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि (जमा अग्रधन राशि समायोजनोपरान्त) प्रतिभूति राशि मो0-21,60,000/- (इक्कीस लाख साठ हजार) रुपये के भुगतान का साक्ष्य दिनांक-31.01.2024 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका 20(i)(ii)(iii)(iv)(v) के आलोक में जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट/बालूखण्ड संख्या-16-A का सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त एवं बंधेज निम्नवत् हैं :-

1. बालूघाट/बालूखण्ड संख्या-16-A से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

क्र.	नदी का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)	Geo Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	सोन (Perennial)	32	24°57'28.21"N	84°15'59.58"E
			24°57'3.72"N	84°16'37.37"E
			24°57'21.78"N	84°15'54.58"E
			24°56'57.31"N	84°16'31.59"E
2	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
3	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य क्षेत्र/पक्षी अभ्यारण्य/वन्य जीव आश्रयण क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
4	बालूघाट/बालूखण्ड से 500 मीटर के अन्दर खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति		हाँ, (कलस्टर रकबा 1104.2 हेक्टेयर)	
5	पुरातात्विक स्थल से दूरी		लगभग 24 कि.मी.	
6	खनन योग्य मात्रा		5,76,000 घनमीटर	

2. भुगतान की शर्तें :-

- नीलामीत-राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके अनुक्रमी वर्षों में बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों के अनुरूप होगा।
- प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करना होगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए)

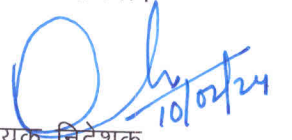
	(ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 06 महीना पूरा होने से पहले।

3. **GST का भुगतान :-** जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।
4. **आयकर/अन्य करों का भुगतान :-** आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।
5. **जिला खनिज फाउण्डेशन :-** Bihar District Mineral Foundation Rules, 2018 के अनुसार बंदोबस्ती राशि की दो (2) प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन, औरंगाबाद के नाम भुगतये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।
6. **वैधानिक अनापत्ति :-** बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति यथा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि आपके द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LOI) निर्गत तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किये जाने हेतु कार्यदेश निर्गत किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:-
 - i. **खनन योजना:-** खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेन्ट निर्गत होने से 30 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्ता/विभाग अन्य ऐजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।
 - ii. **पर्यावरणीय स्वीकृति:-** सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
 - iii. **जल एवं वायु सहमति:-** पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/ Consent to Establish/ Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
 - iv. **खनन के लिए अनुमत मात्रा:-** खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।

- v. बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं तो, समाहर्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त कर पुनः निलामी की कार्रवाई की जाएगी।
 - vi. बिना किसी वैध कारण पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्ति उपरान्त सफल निविदादाता द्वारा 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर खनन राजस्व/ जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं किये जाने की दशा में, समाहर्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त कर पुनः निलामी की कार्रवाई की जाएगी।
- 7. बंदोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना :-**
- i. सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा विहित अपेक्षित राशि संबंधित विभाग में जमा देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।
 - ii. बंदोबस्तधारी को निष्पादित संविदा का निबंधन संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन 01 माह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।
- 8. सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी द्वारा बन्दोबस्ती प्रत्यर्पण/कारोबार छोड़ने का विकल्प बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-50 के अनुरूप किया जा सकेगा।**
- 9. सामान्य शर्तें :-**
- (i) बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड एवं सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन करायेगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
 - (ii) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।
 - (iii) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/ अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच-पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।
 - (iv) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की होगी।
 - (v) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होंगे और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
 - (vi) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी समाहर्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।
 - (vii) यथोक्त शर्तों, बंधेजों एवं निर्बंधनों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
 - (viii) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बकाया का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
 - (ix) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार समाहर्ता, औरंगाबाद/जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद का होगा।

बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कर बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite images खनन कार्य प्रारंभ करने के पहले जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद में समर्पित करना होगा।

- (x) बालूघाट से लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवदेन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिये जाएंगे।
- (xi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xiii) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- (xiv) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निर्देश/आदेश इत्यादि IT-Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।


सहायक निदेशक,
खान एवं भूतत्व, औरंगाबाद।